सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 32/2015

वादीगण :–

1.उगमाराम पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
2.गणपत पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
3.सुरेश पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
4.राजूराम पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
5.अमराराम पुत्र रामदीन जाति बावरी निवासी मण्डावरा
6.भागचन्द पुत्र रामदीन जाति बावरी निवासी मण्डावरा
7.बाबुलाल पुत्र श्रवणराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
8.बद्री पुत्र श्रवणराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा

प्रतिवादीगण

1.सम्पत पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
2.भरतलाल पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
3.रामनिवास पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
4.प्रकाश पुत्र गीगाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
5.कंवरलाल पुत्र टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
6.छोटुड़ी पत्नि टीकूराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
7.चेनाराम पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
8.रामपाल पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
9.पवन पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी मण्डावरा
10.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा –इस्तकरार हक व भू–विभाजन,
अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता,वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24/12/15

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । वकील वादी ने अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । वादीगण की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 09.10.2015 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/2384 दिनॉक 26.11.2015 का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार ही बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है ।

आदेश

अतः ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 0.53 हैक्टर व खसरा नम्बर 203 रकबा 0.21 हैक्टर मे से 0.03 हैक्टर मे मुताबिक नजरी नक्शा अनुसार **A** स्थान पर वादी संख्या 5 अमराराम पुत्र टीकूराम, वादी संख्या 6 भागचन्द पुत्र रामदीन 0.14 हैक्टर, **B** स्थान पर वादी संख्या 1 से 4 गणपत,उगमाराम ,सुरेश,राजू पुत्रान टीकूराम 0.14 हैक्टर, **C** स्थान पर वादी संख्या 7 बाबूलाल,वादी संख्या 8 बद्री पुत्रान श्रवणराम 0.14 हैक्टर, **D** स्थान पर खसरा नम्बर 201 मे से 0.11 हैक्टर व खसरा नम्बर 203 रकबा 0.21 हैक्टर मे से 0.03 हैक्टर मे अर्थात 0.14 हैक्टर भूमि पर उत्तरी,पूर्वी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकाश, सम्पत, रामनिवास, भरतलाल पुत्रान गीगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 का नाम खसरा नम्बर 201 व खसरा नम्बर 203 मे से हटाया जाता है । शेष खाता बदस्तूर रहेगा । बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी । बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । तहसीलदार कुचामनसिटी उक्त अनुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

आदेश आज दिनॉक 24/11/11 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
पद पदेन सहायक कलेक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)